

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़(छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक / 3195 / न्या.लि. / कोरोना सेल / 2020

रायगढ़, दिनांक 15/04/2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के रोकथाम हेतु छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन तथा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील है। (COVID-19) के अंतर्गत रायगढ़ जिले के अंतर्गत सार्वजनिक शिकायत की बारिकी से जांच कर निगरानी करने एवं प्राप्त शिकायत को 03 दिवस के समय-सीमा के भीतर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने हेतु श्रीमती ऋचा प्रकाश चौधरी (भा. प्र.स.) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ (मो.नं. 94076-75317 E-Mail ID-zp-raigarh.cg@nic.in) को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुये उनके कार्यालयीन सहयोग हेतु एतद् द्वारा अस्थायी तौर पर आगामी आदेश पर्यन्त निम्नांकित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है :-

क.	कर्मचारी का नाम	मो.नं.
1	श्री प्रदीप कसेर, डाटा एण्ट्री ऑपरिटर, जिला पंचायत रायगढ़	98278-90638, 70008-96517
2	श्री राधाकांत मेहर, सहायक ग्रेड-03 जिला पंचायत रायगढ़	

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़

रायगढ़, दिनांक 15/04/2020

पृ0क्रमांक / 3195-A/ न्या.लि. / कोरोना सेल / 2020
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
2. सचिव, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर
3. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. सर्व अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ को सूचनार्थ।
6. श्रीमती ऋचा प्रकाश चौधरी (भा.प्र.स.) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ की ओर भारत सरकार के पत्र दिनांक 31-03-2020 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
7. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जिला रायगढ़
8. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़
9. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला रायगढ़
10. सर्व तहसीलदार जिला रायगढ़
11. सर्व संबंधित _____ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। वे नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
12. उप संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ की ओर दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु सूचनार्थ अग्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़